अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 15/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 1 मार्च, 2011 में सा.का.नि. 153(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है,अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम सं.20क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“20क	2601 11 21, 2601 11 22, 2601 11 41, 2601 11 42	सभी माल	कुछ नहीं”;

(ii) क्रम सं.24क के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “15 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं.24ख के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “15 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं.24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“24खक	2610	क्रोमियम अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	कुछ नहीं”;

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2011-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 1/2016-सेवा कर, तारीख 4 जनवरी, 2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 4(अ), तारीख 4 जनवरी, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।